तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/22	आज यह पत्रावली मुल्वाद के साथ पेश हुई। वादनी ने प्रार्थनापत्र पेश कर मुल्वाद विड्रा करा लिया है। मुल्वाद का निस्तारण हो जाने के कारण प्रा०पत्र 212 RT Act का कोई औचित्य नहीं रहता है।

आ० प्रा०पत्र 212 RT Act की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। सेलान मुल्वाद है।

SDO